

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-83/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2023/92

प्रार्थी

इण्डिया शेल्टर फाइनंस कारपोरेशन बनाम
लिमिटेड एक वित्तीय संस्था है,
जिसका पंजीकृत कार्यालय 6वां
फ्लोर, प्लॉट नं० 15, इन्स्टीट्यूशनल
एरिया, सेक्टर-44, गुरुग्राम
हरियाणा- 122002 में स्थित व
कार्यरत है एवं जिसका एक
कार्यालय कैनरा बैंक के उपर तृतीय
तल, डाक बंगले के सामने, बस
स्टेण्ड के पास, अजमेर रोड, मदन
गंज, किशन गढ़, जिला अजमेर
राज. 305801 में स्थित व कार्यरत
है। जिसके प्राधिकृत अधिकारी
यादवेन्द्र सिंह।

अप्रार्थीगण

- 1- Mrs. Reshma W/o Mr. Saddam
hussain
Address- 115 ward no 23, Bavariyon
ka Bas, Kuchaman City, Tehsil
Kuchaman City, District Nagaur,
Rajasthan- 341508
- 2- Mr./Mrs. Saddam
Address- 115 ward no 23, Bavariyon
ka Bas, Kuchaman City, Tehsil
Kuchaman City, District Nagaur,
Rajasthan- 341508
- 3- Mr./Mrs. Rahish
Address- 115 ward no 23, Bavariyon
ka Bas, Kuchaman City, Tehsil
Kuchaman City, District Nagaur,
Rajasthan- 341508
- 4- Mr./Mrs. Ikramudin
Address- 115 ward no 23, Bavariyon
ka Bas, Kuchaman City, Tehsil
Kuchaman City, District Nagaur,
Rajasthan- 341508
- 5- Mr./Mrs. Mohseen
Address- 115 ward no 23, Bavariyon
ka Bas, Kuchaman City, Tehsil
Kuchaman City, District Nagaur,
Rajasthan- 341508

आदेश

दिनांक: 16/5/2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रूपये 5,07,828/- (अक्षरे पांच लाख सात हजार आठ सौ अठाईस मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 18.03.2019 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति -श्री ईकरामुद्दीन पुत्र श्री भंवरु शाह की एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट संख्या 13 जो कि खसरा नम्बर 1619 एवं 1620, हाई टेक स्कूल के पास, सीकर रोड़, कुचामन सिटी तहसील-कुचामन सिटी एवं जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 134.44 वर्गगज है। जिसकी चतुः समापे- उत्तर में- श्री चॉन्द साई का मकान, दक्षिण में-श्री सलीमुईलाही का प्लॉट, पूर्व में-रास्ता 30 फीट, पश्चिम में- श्री शबीर का मकान है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 05.11.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 7,04,112.15/- (अक्षरे सात लाख चार हजार एक सौ बारह



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

रूपय पन्द्रह पैसे मात्र) दिनांक 10.11.2022 तक एवं आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 10.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये, परन्तु उक्त नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 7,04,112.15/- (अक्षरे सात लाख चार हजार एक सौ बारह रूपय पन्द्रह पैसे मात्र) दिनांक 10.11.2022 तक एवं आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण श्री ईकरामुद्दीन पुत्र श्री भंवरू शाह की एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट संख्या 13 जो कि खसरा नम्बर 1619 एवं 1620, हाई टेक स्कूल के पास, सीकर रोड़, कुचामन सिटी तहसील-कुचामन सिटी एवं जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 134.44 वर्गगज है। जिसकी चतुः समाए- उत्तर में- श्री चॉन्द साई का मकान, दक्षिण में-श्री सलीमुईलाही का प्लॉट, पूर्व में-रास्ता 30 फीट, पश्चिम में- श्री शबीर का मकान है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक रूपये 5,07,828/- (अक्षरे पांच लाख, सात हजार आठ सौ अठाईस मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 18.03.2019 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे सम्पति का विवरण श्री ईकरामुद्दीन पुत्र श्री भंवरु शाह की एक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट संख्या 13 जो कि खसरा नम्बर 1619 एवं 1620, हाई टेक स्कूल के पास, सीकर रोड़, कुचामन सिटी तहसील-कुचामन सिटी एवं जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 134.44 वर्गगज है। जिसकी चतुः समाए- उत्तर में- श्री चॉन्द साई का मकान, दक्षिण में-श्री सलीमुईलाही का प्लॉट, पूर्व में-रास्ता 30 फीट, पश्चिम में- श्री शबीर का मकान है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।
आदेश सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर